संख्या- 150/2015-243/नौ-5-15-94बजट/2012

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 12 मई, 2015

विषय: **वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पंचायत, घोरावल जनपद सोनभद्र की पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-12/नागर-2/033-410/15, दिनांक 14.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, घोरावल जनपद सोनभद्र हेतु पेयजल योजना की स्वीकृत लागत रू0 571.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश संख्या-6109/नौ-5-2013-94बजट/2012, दिनांक 24.09.2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चास लाख मात्र) के व्यय हो जाने के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 321.33 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्कीस लाख तैतीस हजार मात्र) को द्वितीय/अंतिम किश्त रूप में अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित् कार्यो के संबंध में शासनादेश संख्या-6109/नौ-5-2013-94बजट/2012, दिनांक 24.09.2013 में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

--------2/

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतो / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-150/2015-243/नौ-5-15-94बजट/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/सोनभद्र ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7- मुख्य अभियंता (इला0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
8- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, घोरावल जनपद सोनभद्र ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-12/05/2015

प्रेषण संख्या:- 150-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-150-2015-243-9-5-15-94Bud-12

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	32133000 32133000	32133000 32133000
	योग	वर्तमान प्रगामी	32133000 32133000	32133000 32133000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्कीस लाख तैंतीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्कीस लाख तैंतीस हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव